(c) in what manner the scheme from flood stricken area to dry areas is going to be worked out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) In the Five Year plans, emphasis was placed on creation of storages across rivers, as a result of which total live storage capacity of about 166 cubic kilometres was created till 1989. Dams to create additional live storage capacity of 77 cubic kilometres are under various stages of completion. In addition about 130 cubic kilometres storage is likely to be added through major and medium schemes under consideration. The National Water Development Agency is carrying out studies of the National Perspective Plan for water resources development which *interalia* envisages transferring water from surplus to watershort basins by interlinking of rivers and constructing reservoirs on potential sites. It is estimated that another 220 cubic kilometres of water will be available under National Perspective Plan for use through inter-basin transfers.

देश में सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल

8491. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक यही आकलन किया है कि देश में 113.5 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मार्च, 1995 तक सिंचाई के अंतर्गत ले आयी गयी देश की कुल भूमि का आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो शेष भूमि को कब तक सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत ले आने की संभावना है ; और

(घ) इस शेष भूमि में से कितनी-कितनी भूमि को बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित करने की योजना है इस संबंध में परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगेया नायडू) : (क) "वृहद और मध्यम" परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए चरम सिंचाई क्षमता 113.5 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है ।

(ख) 1994–95 के अंत तक "वृहद एवं मध्यम" परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता 87.82 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है ।

(ग) शेष भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए समय अन्य बातों के साथ-साथ उन तथ्यों पर भी निर्भर करेगा जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिंचाई को दी गई प्राथमिकता और इस संबंध में किए गए आवंटन भी शामिल हैं ।

(घ) वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को सृजन हेतु लक्ष्य योजनावार (अलग-अलग) निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 15.80 मिलियन हेक्टेयर (वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से 5.09 मिलियन हेक्टेयर और लघु सिंचाई योजनाओं से 10.71 मिलियन हेक्टेयर) सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अनुसूचित जातियों को आदिवासी परिवार कल्याण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि प्रदान किया जाना

8492. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों

को आदिवासी परिवार कल्याण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक धन प्रदान करने और उन्हें संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम से संबंधित योजना के अन्तर्गत लाने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठता ।

अंधे, बहरे, मूक, अपंग, वृद्ध और निस्सहाय व्यक्तियों के लिए गृह

8493. **श्री विलीप सिंह जूदेव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य वार अंधे, बहरे, मूक, अपंग, वृद्ध और निस्सहाय व्यक्तियों के लिये कितने आश्रम स्थापित किये गये है ;

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1991–92 से 1994–95 तक इन आश्रमों पर राज्यवार कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है ;

(ग) इन आश्रमों में किन-किन सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस अवधि के दौरान इन आश्रमों की दशा सुधारने और सुविधा सम्बन्धी अभावों को दूर करने हेतु कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन कठिनाईयों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय दृष्टिहीन, बधिर, मूक और विकलांग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना नही करता । तथापि, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान दिए जाते हैं :—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता ;

(2) विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता ;

(3) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए संगठनों को सहायता ।

देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण संबंधी योजना, जिसके अंतर्गत अनाथालयों को अनुदान दिए जाते हैं, दिनांक 1.4.92 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। 1991–92 से 1994–95 के दौरान अनाथालयों की संख्या और वहन किए गए व्यय से संबंधित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । वयोवृद्धों के कल्याण की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धावस्था गृहों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जाते हैं ।

1991–92 से 1994–95 तक वृद्धावस्था गृहों और वहन किए गए व्यय की राज्यवार सूची विवरण 1 और 2 में दी गई है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी, नही ।